



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092020-221920
CG-DL-E-23092020-221920

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 371]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 23, 2020/आश्विन 1, 1942

No. 371]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 23, 2020/ASVINA 1, 1942

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितंबर, 2020

सं. 1-सीए(7)/196/2020.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 का आगे और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार बनाने का प्रस्ताव करती है, ऐसे सभी व्यक्तियों की, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर, उस तारीख से, जिसको भारत के ऐसे राजपत्र की प्रतियां, जिसमें इन प्रारूप विनियमों को प्रकाशित किया जाता है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालिस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा;

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव प्रस्तुत करने का इच्छुक कोई व्यक्ति, उसे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् को, कार्यकारी सचिव, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान, आईसीएआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली- 110002 को संबोधित करते हुए इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अग्रेषित कर सकेगा;

किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व प्राप्त किसी आक्षेप या सुझाव पर परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (संशोधन) विनियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 में,—

1. उक्त विनियमों के विनियम 51 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“51. (1) ऐसा कोई आर्टिकलड सहायक, जिसने मध्यवर्ती (वृत्तिक सक्षमता) परीक्षा या वृत्तिक परीक्षा (परीक्षा-II) या मध्यवर्ती परीक्षा को उत्तीर्ण किया है और इन विनियमों के अधीन न्यूनतम अठारह मास का व्यवहारिक प्रशिक्षण पूरा किया है, औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए पात्र होगा।

(2) कोई आर्टिकलड सहायक अपने स्वःविवेकानुसार उपविनियम (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए केंद्रीय या राज्य सरकारों, केंद्रीय कानूनी और न्यायिक प्राधिकरणों, विनियामक निकायों, बैंकारी कंपनियों के ऐसे कार्यालयों में और केंद्रीय या राज्य सरकारों के ऐसे अन्य विभागों, संस्थाओं या संगठनों, जिनके संबंध में परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिश्चय किया जाए ; या न्यूनतम नियत आस्तियां या न्यूनतम सकल आवर्त या न्यूनतम शेयर पूंजी रखने वाले ऐसे वित्तीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक उपक्रमों में, जिन्हें परिषद् द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किया जाए, औद्योगिक प्रशिक्षु के रूप में कार्य कर सकेगा।

(3) कोई आर्टिकलड सहायक इस प्रकार का औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के अपने आशय की, ऐसे प्रशिक्षण के आरंभ होने की तारीख से कम से कम तीन मास पूर्व अपने प्रिंसीपल को संसूचना देगा।

(4) औद्योगिक प्रशिक्षण की अवधि नौ मास से लेकर अठारह मास तक की हो सकेगी।

(5) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के किसी सदस्य के अधीन ही प्राप्त किया जाएगा। ऐसा कोई सहबद्ध, जो कम से कम तीन वर्ष की निरंतर अवधि के लिए सदस्य रहा है, एक समय पर एक औद्योगिक प्रशिक्षु को प्रशिक्षित करने के लिए हकदार होगा और कोई अध्येता एक समय पर दो औद्योगिक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने के लिए हकदार होगा, चाहे ऐसे प्रशिक्षु आर्टिकलड सहायक हों या संपरीक्षा सहायक :

परंतु केंद्रीय या राज्य सरकारों, केंद्रीय कानूनी और न्यायिक प्राधिकरणों, विनियामक निकायों, बैंकारी कंपनियों के कार्यालयों में और केंद्रीय या राज्य सरकारों के अन्य विभागों, संस्थाओं या संगठनों की दशा में, यदि इस उपविनियम में निर्दिष्ट किसी संस्थान का कोई सदस्य उपलब्ध नहीं है तो औद्योगिक प्रशिक्षण उस सरकार, प्राधिकरण, निकाय, बैंक, केंद्रीय या राज्य सरकार के विभाग, संस्था या संगठन के ऐसे अधिकारी द्वारा प्रदान किया जा सकेगा, जिसे परिषद् द्वारा समय-समय पर मान्यता प्रदान की जाए :

परंतु यह और कि ऐसे अधिकारी की औद्योगिक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान करने की हकदारी का अवधारण परिषद् द्वारा समय-समय पर, सेवा के वर्षों की संख्या और संबद्ध विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

(6) प्रशिक्षण संबंधी एक करार परिषद् द्वारा अनुमोदित प्ररूप में किया जाएगा।

(7) समाधानप्रद रूप से औद्योगिक प्रशिक्षण पूरा हो जाने पर, औद्योगिक प्रशिक्षु को प्रशिक्षण प्रदान करने वाला सदस्य तुरंत ही प्रशिक्षु को, उसके अधीन प्रशिक्षु द्वारा किए गए प्रशिक्षण के संबंध में परिषद् द्वारा अनुमोदित प्ररूप में एक प्रमाणपत्र जारी करेगा और उसकी एक प्रति सचिव को भी अग्रेषित की जाएगी :

परंतु यदि ऐसा औद्योगिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा उपविनियम (5) के अधीन मान्यताप्राप्त किसी अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाता है तो औद्योगिक प्रशिक्षु ऐसे अधिकारी से परिषद् द्वारा अनुमोदित प्ररूप में एक प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करेगा और उसकी एक प्रति सचिव को अग्रेषित करेगा।

(8) इस विनियम के अधीन निर्दिष्ट औद्योगिक प्रशिक्षण की अवधि को इन विनियमों के सभी प्रयोजनों के लिए आर्टिकल के अधीन सेवा के रूप में माना जाएगा परंतु उपविनियम (7) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र को प्रस्तुत किया जाना होगा।

(9) इस विनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी तथा उपविनियम (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई आर्टिकलड सहायक किसी विदेश में, उस देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटेंट्स फेडरेशन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी लेखांकन निकाय के किसी सदस्य के अधीन छह से अठारह मास की अवधि के औद्योगिक प्रशिक्षण को, ऐसी रीति में, जिसे परिषद् द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए, भी प्राप्त कर सकेगा।

(10) कोई सदस्य या अधिकारी, उसके अधीन सेवा करने वाले औद्योगिक प्रशिक्षु की सहमति से उसे, ऐसी रीति में, जिसे परिषद् द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए, विदेश में तीन मास की अवधि के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(11) औद्योगिक प्रशिक्षु को ऐसे मासिक वजीफे का संदाय किया जाएगा, जिसके संबंध में औद्योगिक प्रशिक्षु और औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाले सदस्य या अधिकारी के बीच में परस्पर रूप से सहमति हो।”;

II. उक्त विनियमों के विनियम 54 के उपविनियम (5) में, “एक वर्ष से अधिक नहीं होगी” शब्दों के स्थान पर, “अठारह मास से अधिक नहीं होगी” शब्द रखे जाएंगे ;

III. विनियम 58 में :

(i) उपविनियम (2) में,—

(क) “यदि अतिरिक्त छुट्टियों की अवधि में उन प्रिंसीपल के अधीन, जिसके साथ ऐसे आर्टिकलड स्टूडेंट ने अपने आर्टिकलड का कार्य किया था, कौंसिल द्वारा स्वीकृत फार्म आर्टिकलड का पूरा कार्य पिछले आर्टिकलड को क्रमबद्धता के रूप में प्रस्तुत करना होगा” शब्दों के स्थान पर, “अतिरिक्त छुट्टियों की अवधि में उस प्रिंसीपल के अधीन, जिसके साथ ऐसे आर्टिकलड छात्र ने अपना आर्टिकलड संबंधी कार्य किया था, परिषद् द्वारा स्वीकृत प्ररूप में आर्टिकल संबंधी पूरा कार्य पिछले आर्टिकलड को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करेगा” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) “अपने आर्टिकलड का कार्य किया था” शब्दों के स्थान पर, “अपना आर्टिकल संबंधी कार्य किया था और” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपविनियम (4) का लोप किया जाएगा।

राकेश सहगल, कार्यकारी सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./234/2020-21]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 1 जून, 1988 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/134/88, तारीख 1 जून, 1988 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए थे :—

- (i) भारत के राजपत्र, तारीख 7 अक्टूबर, 1989 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/1/89 द्वारा प्रकाशित
- (ii) भारत के राजपत्र, तारीख 19 जनवरी, 1991 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/10/90 द्वारा प्रकाशित
- (iii) भारत के राजपत्र, तारीख 19 जनवरी, 1991 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/11/90 द्वारा प्रकाशित
- (iv) भारत के राजपत्र, तारीख 23 फरवरी, 1991 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/12/91 द्वारा प्रकाशित
- (v) भारत के राजपत्र, तारीख 2 फरवरी, 1991 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/13/90 द्वारा प्रकाशित
- (vi) भारत के राजपत्र, तारीख 7 मार्च, 1992 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/19/92 द्वारा प्रकाशित
- (vii) भारत के राजपत्र, तारीख 1 सितंबर, 1995 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/28/95 द्वारा प्रकाशित
- (viii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 13 मार्च, 1996 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/30/95 द्वारा प्रकाशित
- (ix) भारत के राजपत्र, तारीख 16 अगस्त, 1997 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/31/97 द्वारा प्रकाशित
- (x) भारत के राजपत्र, तारीख 26 फरवरी, 2000 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/44/99 द्वारा प्रकाशित
- (xi) भारत के राजपत्र, तारीख 26 फरवरी, 2000 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/45/99 द्वारा प्रकाशित
- (xii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 17 अगस्त, 2001 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/51/2000 द्वारा प्रकाशित
- (xiii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 28 सितंबर, 2001 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/59/2001 द्वारा प्रकाशित
- (xiv) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 31 मार्च, 2003 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/64/2002 द्वारा प्रकाशित

- (xv) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 4 दिसंबर, 2003 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/64ए/2003 द्वारा प्रकाशित
- (xvi) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 28 जुलाई, 2005 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/83/2005 द्वारा प्रकाशित
- (xvii) भारत के राजपत्र, तारीख 17 जून, 2006 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/84/2005 द्वारा प्रकाशित
- (xviii) भारत के राजपत्र, तारीख 13 सितंबर, 2006 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/92/2006 द्वारा प्रकाशित
- (xix) भारत के राजपत्र, तारीख 17 अगस्त, 2007 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/102/2007(अ) द्वारा प्रकाशित
- (xx) भारत के राजपत्र, तारीख 25 सितंबर, 2008 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/116/2008 द्वारा प्रकाशित
- (xxi) भारत के राजपत्र, तारीख 3 दिसंबर, 2008 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/123/2008 द्वारा प्रकाशित
- (xxii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 1 अगस्त, 2012 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/145/2012 द्वारा प्रकाशित
- (xxiii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 22 जुलाई, 2014 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/154/2014 द्वारा प्रकाशित
- (xxiv) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 23 जनवरी, 2015 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/167/2014 द्वारा प्रकाशित
- (xxv) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 25 मई, 2017 में अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/178/2016 द्वारा प्रकाशित।

**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd September, 2020

No. 1-CA(7)/196/2020.—The following draft of certain regulations further to amend the Chartered Accountants Regulations, 1988, which the Council of the Institute of Chartered Accountants of India proposes to make, is hereby published, as required by sub-section (3) of section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulation shall be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India, in which these draft regulations are published, are made available to the public;

Any person desiring to make any objection or suggestion in respect of the said draft regulations, may forward the same to the Council of the Institute of Chartered Accountants of India within the period so specified, addressed to the Acting Secretary, the Institute of Chartered Accountants of India, ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi – 110 002;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period so specified shall be taken into consideration by the Council.

Draft Regulations

1. (1) These regulations may be called the Chartered Accountants (Amendment) Regulations, 2020.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Chartered Accountants Regulations, 1988,-
 - I. For regulation 51 of said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

“51. (1) An articled assistant who has passed the Intermediate (Professional Competence) Examination or Professional Education (Examination-II) or Intermediate examination and has completed a minimum of eighteen months of practical training under these regulations shall be eligible for industrial training.

(2) An articled assistant may, at his discretion, serve as an industrial trainee for the period specified in sub-regulation (4) in such offices of the Central or State Governments, Central statutory and judicial authorities, regulatory bodies, banking companies and such other departments of central or state governments, institution or organisation as may be decided by the Council from time to time; or in any of the financial, commercial, industrial undertakings with minimum fixed assets or minimum total turnover or minimum paid-up share capital as may be approved by the Council from time to time.

- (3) An articled assistant shall intimate to his principal his intention to take such industrial training at least three months before the date on which such training is to commence.
- (4) The period of industrial training may range between nine months and eighteen months.
- (5) The industrial training shall be received under a member of the Institute. An Associate who has been a member for a continuous period of at least three years shall be entitled to train one industrial trainee at a time and a fellow shall be entitled to train two industrial trainees at a time, whether such trainees be articled assistants or audit assistants.

Provided that in the case of the Central or State Governments, Central statutory and judicial authorities, regulatory bodies, banking companies and other departments of central or state governments, institution or organisation, if no member of the Institute referred to in this sub-regulation is available, the industrial training can be imparted by such an officer of that Government, Authority, Body, Bank, department of central or state government, institution or organisation, as may be recognised by the Council from time to time.

Provided further that the entitlement of such officer to train the industrial trainee shall be determined by the Council from time to time keeping in view the number of years of service and the nature of services being rendered by the department concerned.

- (6) An agreement of training shall be entered into in the form approved by the Council.
- (7) On satisfactory completion of the industrial training, the member training the industrial trainee, shall forthwith issue to the trainee a certificate in the form approved by the Council in respect of the training undergone under him and forward a copy thereof to the Secretary.

Provided that if such industrial training is imparted by an officer recognized by the Council under sub-regulation (5), the industrial trainee shall obtain a certificate in the form approved by the Council from such officer and shall forward a copy thereof to the Secretary.

- (8) The period of industrial training referred to under this regulation, shall be treated as service under articles for all purposes of these Regulations, provided the certificate referred to in sub-regulation (7) is produced.
- (9) Notwithstanding anything contained in this regulation and subject to the provisions of sub-regulation (1), an articled assistant may also serve as an industrial trainee for a period ranging from six to eighteen months in any foreign country under a member of the accountancy body in that country recognized by the International Federation of Accountants in such manner as may be determined by the Council from time to time.
- (10) A member or Officer, with the consent of industrial trainee serving under him, may depute the latter for industrial training for a period of three months in any foreign country, in such manner as may be determined by the Council.
- (11) The industrial trainee shall be paid such monthly stipend as may be agreed mutually between the industrial trainee and the member or officer imparting the industrial training.”;

II. In regulation 54 of the said regulations, in sub-regulation (5), for the words “shall not exceed one year”, the words “shall not exceed eighteen months” shall be substituted.

III. In regulation 58:

- (i) In sub-regulation (2), -
 - (a) for the words “If the period of the excess leave taken is sought to be served”, the words “The period of excess leave taken shall be served” shall be substituted;
 - (b) For the words “last served his articles,” the words “last served his articles and” shall be substituted;
- (ii) Sub-regulation (4) shall be omitted.

RAKESH SEHGAL, Acting Secy.

[ADV.T.-III/4/Exty./234/2020-21]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 1st June, 1988 vide number 1-CA(7)/134/88 dated 1st June, 1988 and subsequently amended by the following numbers:-

- (i) Notification No.1-CA(7)/1/89 published in the Gazette of India, dated 7th October, 1989
- (ii) Notification No.1-CA(7)/10/90 published in the Gazette of India, dated 19th January, 1991
- (iii) Notification No.1-CA(7)/11/90 published in the Gazette of India, dated 19th January, 1991
- (iv) Notification No.1-CA(7)/12/91 published in the Gazette of India, dated 23rd February, 1991
- (v) Notification No.1-CA(7)/13/90 published in the Gazette of India, dated 2nd February, 1991
- (vi) Notification No.1-CA(7)/19/92 published in the Gazette of India, dated 7th March, 1992.
- (vii) Notification No.1-CA(7)/28/95 published in the Gazette of India dated 1st September, 1995
- (viii) Notification No.1-CA(7)/30/95 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 13th March, 1996
- (ix) Notification No. 1-CA(7)/31/97 published in the Gazette of India, dated 16th August, 1997
- (x) Notification No. 1-CA(7)/44/99 published in the Gazette of India dated 26th February, 2000
- (xi) Notification No.1-CA(7)/45/99 published in the Gazette of India, dated 26th February, 2000
- (xii) Notification No.1-CA(7)/51/2000 published in the Gazette of India, Extraordinary, dated 17th August, 2001
- (xiii) Notification No.1-CA(7)/59/2001 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 28th September, 2001
- (xiv) Notification No.1-CA(7)/64/2002 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 31st March, 2003
- (xv) Notification No.1-CA(7)/64A/2003 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 4th December, 2003
- (xvi) Notification No.1-CA(7)/83/2005 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 28th July, 2005
- (xvii) Notification No.1-CA(7)/84/2005 published in the Gazette of India, dated 17th June, 2006
- (xviii) Notification No. 1-CA(7)/92/2006 published in the Gazette of India, dated 13th September, 2006
- (xix) Notification No. 1-CA(7)/102/2007(E) published in the Gazette of India, dated 17th August, 2007
- (xx) Notification No.1-CA(7)/116/2008 published in the Gazette of India, dated 25th September, 2008
- (xxi) Notification No.1-CA(7)/123/2008 published in the Gazette of India, dated 3rd December, 2008
- (xxii) Notification No. 1-CA(7)/145/2012 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 1st August, 2012
- (xxiii) Notification No. 1-CA(7)/154/2014 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 22nd July, 2014
- (xxiv) Notification No. 1-CA(7)/167/2014 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 23rd January, 2015.
- (xxv) Notification No.1-CA(7)/178/2016 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 25th May, 2017.